न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या : 30/2023

प्रार्थीगण

1. करनाराम पुत्र रामकेन उम्र 61वर्ष
2. गणपत पुत्र विरधाराम उम्र 30वर्ष
3. गोरधन पुत्र हीराराम उम्र 45वर्ष
4. पुनमी पत्नी विरधाराम उम्र 70वर्ष
5. चुनी पुत्री विरधाराम उम्र 40वर्ष
6. दानाराम पुत्र रामकेन उम्र 63वर्ष
7. पूनमा पुत्र धनाराम उम्र 65वर्ष
8. सगराम पुत्र रामकेन उम्र 70वर्ष
9. सुरती पत्नी करनाराम उम्र 60वर्ष
10. सोनाराम पुत्र हीराराम उम्र 60वर्ष
11. हनुमान राम पुत्र हीराराम उम्र 50वर्ष, जातियान विश्नोई, निवासी कबूली तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. करनाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 70वर्ष
2. रूखमण पत्नी हनुमानराम उम्र 65वर्ष
3. हरीराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 30वर्ष
4. अणसी पत्नी रामचन्द्र उम्र 70वर्ष
5. उदाराम पुत्र रामचन्द्र उम्र 60वर्ष
6. ओमप्रकाश पुत्र पूनमाराम उम्र 38वर्ष
7. केली पत्नी मंगलाराम उम्र 60वर्ष
8. किशना पुत्र रामचन्द्र उम्र 50वर्ष
9. खंगाराम पुत्र वरींगाराम उम्र 50वर्ष
10. गंगाराम पुत्र वरींगाराम उम्र 48वर्ष
11. जगमाल पुत्र प्रहलाद उम्र 75वर्ष
12. तुलसी पत्नी भींयाराम उम्र 70वर्ष
13. नेनूदेवी पत्नी बलवंता उम्र 40वर्ष
14. बलवंता पुत्र रामचन्द्र उम्र 46वर्ष
15. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र उम्र 48वर्ष
16. भगवानाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50वर्ष
17. भागीरथ पुत्र रामचन्द्र उम्र 60वर्ष
18. भाणी पत्नी सोनाराम उम्र 55वर्ष
19. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम उम्र 40वर्ष
20. शांति पत्नी पूनमाराम उम्र 65वर्ष
21. सांवताराम पुत्र वरींगाराम उम्र 62वर्ष
22. सोनाराम पुत्र रामचन्द्र उम्र 60वर्ष
23. जगमाल पुत्र जोधाराम उम्र 75वर्ष
24. जेरूपा पुत्र धुड़ाराम उम्र 60वर्ष
25. देरामा पुत्र जोधाराम उम्र 75वर्ष
26. पूनमा पुत्र धुड़ाराम उम्र 62वर्ष
27. प्रतापाराम पुत्र जोधाराम उम्र 75वर्ष
28. भाखराम पुत्र धूड़ाराम उम्र 70वर्ष
29. विमला पत्नी फूसाराम उम्र 45वर्ष
30. हरीराम पुत्र जोधाराम उम्र 65वर्ष
31. हीरकन पुत्र जोधाराम उम्र 58वर्ष, जातियान विश्नोई, निवासी ढाकों का गोलिया तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
32. चुनी पत्नी मुगलाराम उम्र 65वर्ष
33. पुनमी पत्नी रामजीवन उम्र 45वर्ष
34. विकास पुत्र रामजीवन उम्र 23वर्ष
35. श्रवण पुत्र रामजीवन उम्र 23वर्ष
36. [illegible]रनाराम पुत्र विरधाराम उम्र 65वर्ष
37. [illegible]नाराम पुत्र कोजाराम उम्र 60वर्ष
38. [illegible] पुत्र विरधाराम उम्र 55वर्ष
39. खंगाराराम पुत्र कोजाराम [illegible]वर्ष
40. जगमाल पुत्र कोजाराम [illegible]
41. बाबूराम पुत्र निम्बारा उम्र [illegible]
42. रामचन्द्र पुत्र विरधाराम उम्र 57वर्ष
43. हेमाराम पुत्र कोजाराम उम्र 70वर्ष
44. अणदी पत्नी किशनाराम उम्र 60वर्ष
45. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम उम्र 48वर्ष
46. धोलाराम पुत्र किशनाराम उम्र 45वर्ष
47. पूनमी पत्नी किशनाराम उम्र 60वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

02.08.23

48. मोहनलाल पुत्र किशनाराम उम्र 52वर्ष
49. जोधाराम पुत्र आईदान उम्र 75वर्ष
50. गंगाराम पुत्र विरधाराम उम्र 60वर्ष
51. चनणाराम पुत्र वीरमाराम उम्र 46वर्ष
52. बाबूलाल पुत्र वीरमाराम उम्र 48वर्ष
53. मालाराम पुत्र हरदास उम्र 80वर्ष
54. सुरताराम पुत्र वीरमाराम उम्र 50वर्ष
55. केसाराम पुत्र धनाराम उम्र 60वर्ष
56. सोनाराम पुत्र धनाराम उम्र 65वर्ष
57. केली पत्नी वगताराम उम्र 80वर्ष
58. चुनाराम पुत्र प्रहलाद उम्र 65वर्ष
59. पांचाराम पुत्र वगताराम उम्र 45वर्ष
60. मोटाराम पुत्र प्रहलाद उम्र 65वर्ष
62. जालाराम पुत्र मोटाराम उम्र 52वर्ष
63. भागीरथराम पुत्र चुनाराम उम्र 48वर्ष
64. इन्द्रा पत्नी रूघनाथराम उम्र 48वर्ष
65. पंख्या पत्नी वगताराम उम्र 80वर्ष
66. भीखाराम पुत्र वगताराम उम्र 62वर्ष
67. मांगीलाल पुत्र वगताराम उम्र 48वर्ष
68. लादूराम पुत्र कालूराम उम्र 70वर्ष
69. वीरमाराम पुत्र सुखराम उम्र 75वर्ष
70. गोगीदेवी पत्नी जयकिशनराम उम्र 48वर्ष
71. देरामाराम पुत्र सुरताराम उम्र 62वर्ष
72. भाखराम पुत्र खींयाराम उम्र 70वर्ष
73. सुजानाराम पुत्र सुरताराम उम्र 55वर्ष, जातियान विश्नोई, निवासी कबूली तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।
74. पोकरराम पुत्र रामूराम उम्र 85वर्ष
75. मगाराम पुत्र ठाकराराम उम्र 55वर्ष
76. लाधूराम पुत्र ठाकराराम उम्र 53वर्ष, जातियान विश्नोई, निवासी काकड़ों की ढाणी चैनपुरा तहसील धोरीमना।
77. तहसीलदार, धोरीमना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 15/02/23

अधिवक्ता :– श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 02/08/23

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदारी की खेत ग्राम कबूली के खेत खसरा संख्या 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम, पटवार हल्का खारी, तहसील धोरीमना में आई [illegible] जिसकी चालू [illegible] व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीग[illegible] की [illegible] आई हुई है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खसरों के बीच में किसी प्रकार [illegible] की कोई मेढ़ तथा सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीग[illegible] अन्य प्राकृतिक पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण के खेत ग्राम कबूली के खेत खसरा संख्या 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमना इसी खेत में स्थित में प्रार्थीगण अनवरत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी काश्त करते आ रहे हैं जबकि विप्रार्थीगण हर समय प्रार्थी के सेढ़े को काटकर प्रार्थीगण के खेत में घुसकर जबरदस्ती काश्त कर लेते हैं विप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से अपने प्रभाव का

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:13 IST
Reason: SelfAttested

02.08.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

इस्तेमाल कर प्रार्थीगण के खेत में दखलअंदाजी करते रहते हैं इस विवाद के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें प्रार्थीगण के खेत व विप्रार्थीगण के खेत के मध्य स्थित सेढ़े पर स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने से विप्रार्थीगण कच्चे नाप को नहीं मानकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपस में हर समय झगड़ा होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण के खेत में स्थाई सीमा चिह्न कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया परंतु मौके पर विवाद होने के कारण सही नाप व शांति व्यवस्था हेतु हल्का पटवारी द्वारा श्रीमानजी के समक्ष आवेदन पेश करने का सुझाव दिया जिस पर यह आवेदन पेश करने का सुझाव दिया जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी मौके पर नेखम उपलब्ध करने एवं नेखमबंदी फीस अदा करने को तैयार हैं तथा तहसीलदार धोरीमना को कमीश्नर नियुक्त करते हुए पुलिस ईमदाद के साथ पक्के नेखम स्थापित किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम कबूली पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रुपए का साथ पेश है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम कबूली के खेत खसरा संख्या 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 01 ता 77 को भेजे गए नोटिस पांच माह से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम कबूली, पटवार हल्का– खारी, तहसील–धोरीमना के खसरा नंम्बर क्रमशः 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम, प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार–धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द की प्रतिलिपि दिनांक–09.02.2023 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंम्बर क्रमशः 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम, आराजी का सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ौसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को खसरा नंम्बर क्रमशः 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम, क... स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:13 IST
Reason: SelfAttested

02.08.23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा– कबूली, पटवार हल्का–खारी, तहसील–धोरीमना, जिला बाड़मेर के खसरा नंम्बर क्रमशः 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नंम्बर क्रमशः 303/216, 304/216 रकबा क्रमशः 7.8185, 42.9048 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी दोयम, बारानी दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

02.08.23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/08/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

02.08.23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:13 IST
Reason: SelfAttested